

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृतियाँ /कॉलोनाइज़र/डेवलपर : सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लि. लाइसेंस नं. /वर्ष : 25 / 2016 एवं 29.11.2016. भवन योजना की स्वीकृति 7.6.2017 माध्यम/मेमो नं. ZP-1012/SD(BS)/2017/12388 Dated 7/6/17. 2. स्थान : सेक्टर 107, गुरुग्राम। 3. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान : 3 एकड़ जिसकी 448 यूनिटों में आवेदकों के लिए कूल 134 अपार्टमेंट उपलब्ध हैं। इनमें 5% पलैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी—सह—क्रेश। 4. सर्वसाधारण के लिए अपार्टमेंट के विवरण • कैटेगरी 1: (i) 21 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 577.946 वर्गफुट (53.693 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 82.570 वर्गफुट (7.671 वर्ग मीटर लगभग) के साथ—साथ दपहिया वाहन पार्किंग। (ii) 34 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 553.856 वर्गफुट (51.455 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 81.084 वर्गफुट (7.533 वर्ग मीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (iii) 56 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 553.383 वर्गफुट (51.411 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 81.084 वर्गफुट (7.533 वर्ग मीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (iv) 1 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 514.396 वर्गफुट (४७.७८९ वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर ५०.९९९ वर्गफुट (४.७३८ वर्ग मीटर लगभग) के साथ—साथ दूपहिया वाहन पार्किंग। मैनेजमेंट कोटे के लिए अपार्टमेंट के विवरण • कैटेगरी 1A: (i) 12 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 642.325 वर्गफुट (59.674 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 85.842 वर्गफुट (7.975 वर्ग मीटर लगभग) के साथ–साथ दूपहिया वाहन पार्किंग। (ii) 10 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 645.759 वर्गफुट (59.993 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 85.842 वर्गफुट (7.975 वर्ग मीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। 5. अपार्टमेंट की आवंटन दर (कर सहित) + जीएसटी, जो लागू हो : • कैटेगरी 1: () 23,53,069 रुपये (ji) 22,55,966 रुपये (jii) 22,54,074 रुपये | (iv) 20,83,083 रुपये | • कैटेगरी 1A: (j) 26,12,221 रुपये (ji) 26,25,957 रुपये | उपरोक्त दर 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 से निर्धारित नीति के अनुसार अपार्टमेंट का कूल मूल्य है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)। वैधानिक कर देय हैं। ६. भूगतान के नियम : i. आवेदन के साथ : बुकिंग की राशि अर्थात् फ्लैट मूल्य का 5%. • कैटेगरी 1: (i) 1,17,653.46 रुपये (ii) 1,12,798.41 रुपये (iii) 1,12,703.68 रुपये (iv) 1,04,154.19 रुपये | • कैटेगरी 1A: (i) 1,30,611.05 रुपये (ii) 1,31,297.78 रुपये | फ्लैट मूल्य का अगला 20% • कैटेगरी 1: (i) 4,70,613.85 रुपये (ii) 4,51,193.63 रुपये (iii) 4,50,814.74 रुपये (iv) 4,16,616.75 रुपये • कैटेगरी 1A: (j) 5,22,444.18 रुपये (ii) 5,25,191.13 रुपये। ii. बाकी 75% इनस्टॉलमेंट बाद के आवंटी (आवंटियों) के भूगतान के शेड्यूल के अनुसार। भूगतान की नियत तिथि से पहले ब्याज नहीं लगेगा। भूगतान में चूकने पर विलंब की अविध के लिए 15% सालाना ब्याज लगेगा। 7. <mark>अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण •</mark> फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड / सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड / मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन खोलने योग्य/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/फिक्स विंडो पेंट फिनिश के साथ • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरेडी / माइल्ड स्टील / हार्ड वुड / अल्युमिनियम पाउंडर कोटेड • दीवार : ऑयल बांड / वॉल पेपर्स • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल / ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • डाडो : सिरामिक टाइल्स काउंडर के ऊपर 600 मिमी तक • सैनिटरी फिटिंग : ISI मार्का CP फिटिंग एवं सिंगल ड्रेन बोर्ड सिंक; टायलेट एवं बाथ : W.C. एवं वॉशबेसिन, ग्रिंड फॉल सीलिंग, सिरामिक टाइल्स 4 से 7 फूट ऊँचाई तक और उसके ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्का स्विच और सॉकेट; अंदर कसील्ड कड्इट में पूरी कॉपर की बिजली वायरिंग हल्के पॉइंट के लिए। 8. आवेदन की समय सीमाएँ : i. आवेदन पत्र दिनाक 20.02.2018 से आवेदन शूलक 1000 रुपये भूगतान कर सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पता : ग्राउड फ्लोर, सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम–122001, 0124–4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें ः 7053—121—121 ii. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि ः 31.03.2018. <mark>योग्यता</mark> ः 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है पर उस आवेदक को पहली प्राथमिकता दी जाएगी जिसके खुद या पत्नी / पति, आश्रित बेटे / बेटी के नाम हुडा द्वारा विकसित किसी कॉलोनी / सेक्टर या हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्र में कोई फ्लैट/प्लॉट आवंटित नं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवंदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवंदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा। <mark>आवंटन के मानक</mark>ः 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉटी की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मुल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharvana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।







RERA REG, NO.: 4 of 2017 dated 20-06-2017

























